# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
## बइजलास गाविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस

**प्रकरण संख्याः– 159/2014/दावा**

1 गीगराज पुत्र धनसिंह
2 राजू देवी धर्मपत्नी गीगराज
3 रामरतन पुत्र गीगराज
4 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गीगराज
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम हनुमानपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रार्थीगण

व ना म

1. पोखरमल पुत्र भगवानाराम (फौत)
   1/1. सुभाष पुत्र पोखरमल
   1/2. महिपाल पुत्र पोखरमल
   1/3. संतोष पत्नि पोखरमल
   1/4. मंजू पुत्री पोखरमल
   समस्त जाति जाट निवासी हनुमानपुरा, खाटूश्यामजी, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. तहसीलदार (भू–धारक) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. उपपंजीयक दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. एसबीबीजे शाखा खाटूश्यामजी तह0 दांतारामगढ।

– अप्रार्थीगण

**दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा**

उपस्थिति–

1. श्री अनिल शर्मा वकील वादीगण की ओर सें।
2. श्री भंवर सिंह शेखावत वकील प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 की ओर से।
3. प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

**नि र्ण य** **दिनांक– 22.07.2024**

1. वादपत्र में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम हनुमानपुरा, पटवार क्षैत्र खाटू, भू0अ0नि0 क्षैत्र खाटू, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित खाता संख्या नया 12 पुराना 14 के खसरा नम्बर 182 रकबा 6.67 है0 खसरा नम्बर 214 रकबा 5.86 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 12.13 है0 में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 व 3 का 1/3 हिस्सा वादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1

का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित चला आ रहा है तथा राजस्व रिकार्ड में सह-हिस्सेदार सह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2069 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज है और राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपने-अपने हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा कर मौके पर उसी अनुसार काबिज काश्त निरन्तर चले आ रहे हैं और अपने-अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करते आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। एतदपश्चात वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित संपूर्ण खसरान् की भूमि को "विवादित भूमि" शब्द से संबोधित किया जा रहा है। अब चूंकि वाद अधीन भूमि के बजारू दर में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में खोट आ गयी है और वह विवादित भूमि का बिना विधिक विभाजन करवाये ही संयुक्त खातेदारी की विवादित भूमि के विशेष भू-भाग पर कब्जा करके पुख्ता पक्का निर्माण करने विशेष भू-भाग को विक्रय-हस्तांतरण इत्यादि करने के अनुचित व विधि विरूद्ध मंशा रखने लग गये हैं और मौके पर भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों को लाकर विवादित भूमि के विशेष भू-भाग की ओर इशारा करते हुये भूमि विक्रय करने की वार्तालाप करते हैं। जबकि उनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। चूंकि दिनांक 14.07.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 ने दिगर व्यक्तियों के कहे अनुसार विवादित भूमि के विशेष भू-भाग पर बाहूबल के आधार पर कब्जा करने एवं मौके पर काबिज अनुसार आ जाने के लिए कायम रास्ते को अवरूद्ध करने व पुख्ता पक्का निर्माण कार्य करने के कुत्सित उद्देश्य से मौके पर पत्थर डालना प्रारम्भ कर दिया तो वादीगण ने इसका विरोध किया तो वह पुख्ता पक्का निर्माण कार्य करने में सफल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ तो उसने वादीगण को ऐलानियां धमकी दी कि वह भू-माफिया गिरोह से मिलकर रातो-रात विशेष भू-भाग पर पत्थर ईंट, बजरी इत्यादि निर्माण सामग्री डालकर अधिक संख्या में कारीगर मजदूर लगाकर पुख्ता पक्का निर्माण कार्य करके रहेगा, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड सकते हो तथा मौके

की स्थिति में परिवर्तन करूंगा इत्यादि एलानियां धमकी दी। प्रतिवादी संख्या 1 की उक्त हरकत गैर–कानूनी एवं विधि विरूद्ध है एवं विधि उसको ऐसा करने से निषेद्ध करती है। चूंकि विवादित भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा मौके पर काबिज अनुसार सहहिस्सेदारान की हैसियत से कानूनन चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के खिलाफ साजिश एवं साजबाज कर रखी है और विवादित भूमि का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिक विभाजन करवाये बिना ही विवादित भूमि के विशेष भू–भाग पर बाहुबल के आधार पर कब्जा करने, भूमि का कृशि से अकृशि में उपयोग–उपभोग करने पर आमदा है और येनकेन–प्रकारेण वादीगण को उनके खातेदारी अधिकारों व विधिक अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए हैं ऐसी स्थिति में वादीगण को बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 विभाजन की डिक्री बहस वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की प्राप्त करने का विधिक अधिकार हासिल है कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 में उल्लेखित राजस्व ग्राम हनुमानपुरा, प0 क्षैत्र खाटू, भू0अ0नि0 क्षैत्र खाटू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित खाता संख्या नया 12 पुराना 14 के खसरा नम्बर 182 रकबा 6.67 है0, खसरा नम्बर 214 रकबा 5.86 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 12.13 है0 में मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिक विभाजन किया जाकर वादीगण के हिस्से का पर्चा लगान एवं राजस्व नक्शा पृथक से कायम किया जावे। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के विरूद्ध साजिश एवं साजबाज कर रखी है। जबकि उनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। इसके विपरित वादीगण को यह विधिक अधिकार हासिल है कि वे प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय की स्थायी निशेधाज्ञा से पाबंद करवा दे कि, वादपत्र की मद नम्बर 1 में उल्लेखित ग्राम हनुमानपुरा, प0 क्षैत्र खाटू, भू0अ0नि0 क्षैत्र खाटू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खाता संख्या नया 12 पुराना 14 के खसरा नम्बर 182 रकबा 6.67 है0, खसरा नम्बर 214 रकबा 5.86 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 12.13 है0 का बिना विधिक विभाजन करवाये विवादित भूमि के किसी भी विशेष भू–भाग पर बाहुबल के आधार पर नाजायज कब्जा करने तथा कृषि से अकृषि में उपयोग–उपभोग करने, विशेष भू–भाग को विक्रय, हस्तानान्तरण करने से निषेद्ध रहे तथा प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण के

शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी हस्तक्षेप बाधा रुकावट मदाखलत मदाहमत इत्यादि करने से निषद्ध रहे तथा अपने-आपने परिवारजनो, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषद्ध रखे तथा खाम एव पुख्ता निर्माण नही करे और राजस्व रिकार्ड एव मौका की यथास्थिति बनायी रखे। बिनायदावा अन्तिम रूप से दिनांक 14.07.2014 को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादीगण को विवादित भूमि से बाहुबल के आधार पर बेदखल करने, विवादित भूमि के विशेष भू–भाग पर बाहुबल के आधार पर कब्जा करके कृशि से अकृशि में उपयोग करने हेतु पुख्ता निर्माण करने तथा वि ेश भू–भाग को विक्रय–हस्तान्तरण करके खुर्द–बुर्द करने की एवजनिया धमकी दी तो वादीगण ने अन्य प्रतिवादी संख्या 1 को विभाजन करवाने हेतु आग्रह किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने साफ इन्कार कर दिया। जिससे वादीगण को वादकरण उत्पन्न हुआ, जो निरन्तर जारी है। अन्त में यह इस्तदुआ चाही कि विभाजन की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की जारी फरमायी जावे कि, वाद पत्र की मद संख्या 1 में उल्लेखित राजस्व ग्राम हनुमानपुरा प0 क्षेत्र खाटू, भू0अ0नि0 क्षेत्र खाटू तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित खाता संख्या नया 12 पुराना 14 के खसरा नम्बर 182 रकबा 6.67 है0, खसरा नम्बर 214 रकबा 5.86 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 12.13 है0 का कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुय मौके पर काबिज अनुसार विधित विभाजन किया जाकर वादीगण के हिस्से का पृथक से पर्चा लगान एवं राजस्व नक्शा कायम किया जावे तथा स्थायी निशेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमायी जावे कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में उल्लेखित राजस्व ग्राम हनुमानपुरा प0 क्षेत्र खाटू, भू0अ0नि0 क्षेत्र खाटू तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित खाता संख्या नया 12 पुराना 14 के खसरा नम्बर 182 रकबा 6.67 है0, खसरा नम्बर 214 रकबा 5.86 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 12.13 है0 का बिना विधिक विभाजन करवाये विवादित भूमि के किसी भी विशेष भू–भाग पर बाहूबल के आधार पर नाजायज कब्जा करने तथा कृषि से अकृषि में उपयोग–उपभोग करने विशेष भू–भाग को विक्रय–हस्तांतरण करने से निषेद्ध रहे तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के भाांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग कब्जा काश्त में

किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने से निषेद्ध रहें तथा अपने–अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेद्ध रखे तथा खाम एवं पुख्ता निर्माण नहीं करे और राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से वकील श्री भंवरसिंह शेखावत हाजिर आये। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 के बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 10.10.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी थी। तत्पश्चात् पत्रावली वास्ते साक्ष्य हेतु नियत रही। पत्रावली में दिनांक 14.03.2015 को एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री जारी की गयी तथा दिनांक 27.08.2015 को वकील प्रतिवादी द्वारा एक आवेदन आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया, उक्त आवेदन 11.09.2015 को स्वीकार किया जाकर पत्रावली जवाब हेतु नियत रखी गयी तत्पश्चात् वकील प्रतिवादी की आपत्ति स्वीकार कर पुनः बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहरीर जारी की गयी तथा 04.10.2023 को वकील प्रतिवादी द्वारा कायम मुकाम आवेदन पेश किया गया व उसके विधिक वारिसानों की ओर से अधिवक्ता श्री भंवर सिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश कर पुनः आपत्ति बंटवारा प्रस्ताव पेश की गयी तथा उक्त आपत्तियों का निस्तारण 13.05.2024 को किया जाकर पुनः बंटवारा प्रस्ताव मांगा गया तथा तहसीदार दांतारामगढ द्वारा दिनांक 03.07.2024 को पुनः बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया।

3. पत्रावली वास्ते बहस हेतु 16.07.2024 को पेश हुई जिस पर वकील प्रतिवादी ने पुनः मौखिक आपत्तियां पेश कर कथन किया कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर नहीं है तथा प्रतिवादीगण को बंटवारा प्रस्ताव के संबंध में सूचित नहीं किया गया। बंटवारा प्रस्ताव में प्रस्तावित खसरा नम्बर 1784/182/2 में किसी अनजान व्यक्ति का कब्जा है। अतः उक्त बंटवारा प्रस्ताव पुनः मंगवाया जाकर प्रस्तावित खसरा नम्बर 1784/182/2 को वादी के हिस्से में डाला जाये। वकील वादी ने कथन किया कि पत्रावली में पहले भी उनकी आपत्ति स्वीकार होकर पुनः

बटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया था जो दिनांक 22.05.2015 को न्यायालय में पेश किया। तत्पश्चात् पुनः आपत्तियों के आधार पर बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 11.06.2018 को पेश किया गया जिस पर पुनः आपत्तियां पेश करने पर पुनः बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 03.07.2024 को पेश किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा बार–बार आपत्ति पेश कर प्रकरण में विलम्ब करवाना चाहे हैं। अतः आपत्तियां खारिज कर बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

4. मैनें उभयपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया गया तथा विधिक प्रावधानों का भी अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है की वकील प्रतिवादी द्वारा पूर्व में दिनांक 04.10.2023 को आपत्तियां पेश की गयी थी उन आपत्तियों में यह कहा गया था कि प्रतिवादीगण को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी तथा जिस भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज हैं उक्त भूमि बंटवारा प्रस्ताव में वादी को दे दी गयी है। अतः पुनः बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जावे जिस पर पुनः बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया परन्तु नये बंटवारा प्रस्ताव पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा पुनः नयी आपत्तियां पेश कर दी गयी हैं, जिसमें मुख्यतः यह कहा गया है कि प्रतिवादीगण को बंटवारा के संबंध में सूचना नहीं दी गयी। जिस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा सम्यक नोटिस जरिये रजि0 एडी से जारी किये गये थे जो बंटवारा प्रस्ताव के साथ सलंग्न है। वकील प्रतिवादी का यह कथन है कि बंटवारा प्रस्ताव पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर नहीं है के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार राजस्व मंडल द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय समस्त प्रतिवादीगण मौके पर उपलब्ध थे तथा उनको विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया व समझाया गया परन्तु उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तथा प्रतिवादीगण को भेजे गये नोटिस भी उक्त बटवारा प्रस्ताव के साथ सलंग्न है। वकील प्रतिवादी का यह कथन है कि प्रस्तावित खसरा नम्बर 1784/182/2 पर अन्यत्र किसी व्यक्ति का कब्जा है सही नहीं पाया जाता है,

क्योंकि उक्त के संबंध में तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव में कोई उल्लेख नहीं है।

5. अतः वकील प्रतिवादी द्वारा पेश समस्त आपत्तियां खारिज की जाती है तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 03.07.2024 राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुरूप होने से व निर्धारित प्रारूप में होने से विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेश अनुसार वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतिम डिक्री जारी की जाती है तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में मुताबिक डिक्री इन्द्राज करे व बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। प्रतिवादीगण स्वयं को मय वारिशान, परिजन, एजेंट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादी को बंटवारे में प्राप्त कृषि आराजियात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने, कृषि कार्य में अवरोध उत्पन्न करने, नींव सींव खुर्द बुर्द करने, पैड पौधे काटने, मौका सुरत में तब्दिली करने से बाज रहे। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे। डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार दांतारामगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिंनाक 22.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

# अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

( Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास गोविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस

गीगराज बनाम पोखरमल आदि

### दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 159 / दावा सन् 2014 निर्णय दिनांक. 22.07.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू गोविन्द सिंह भीचर आर.ए.एस बहाजरी श्री अनिल शर्मा मिनजानिब मुद्दई व श्री भंवर सिंह शेखावत मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि तहसीलदार दांतारामगढ के पत्रांक भू0अ0 / 2024 / 3406 दिनांक 03.07.2024 के द्वारा हनुमानपुरा प0ह0 खाटूश्यामजी का प्राप्त बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री निम्न प्रकार सें जारी की जाती है :–

| क्र. सं. | खातेदार का नाम मय वल्दियत | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म | लगान रूपये में |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गीगराज पुत्र धनसिंह हि. 1/9 जाति जाट सा. हमीरपुरा कला खातेदार राहिन PNB खाटूश्यामजी, राकेश कुमार पुत्र गीगराज हि. 2/9 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन PNB खाटूश्यामजी, राजु देवी पत्नि गीगराज हि. 2/9 जाति जाट सा. हमीरपुरा कला खातेदार राहिन SBBJ खाटूश्यामजी, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गीगराज हि. 2/9 जाति जाट सा. हमीरपुरा कला खातेदार राहिन PNB खाटूश्यामजी, रामरतन पुत्र गीगराज हि. 2/9 जाति जाट सा. हमीरपुरा कला खातेदार राहिन SBBJ खाटूश्यामजी, | 1784 / 182 / 2<br>1784 / 182 / 5<br>214 / 2 | 1.10<br>2.6770<br>5.2320 | बारानी–4<br>बारानी–4<br>बारानी–4 | 2.20<br>5.3540<br>10.4640 |
| | | किता–3 | 9.009 | | 18.018 |
| 2 | मंजु देवी पुत्री पोखरमल हि. 1/4 जाति जाट सा.देह खातेदार, महिपाल पुत्र पोखरमल हि. 1/4 जाति जाट सा.देह खातेदार, संतोष देवी पत्नि पोखरमल हि. 1/4 जाति जाट सा.देह खातेदार, सुभाष पुत्र पोखरमल हि. 1/4 जाति जाट सा.देह खातेदार | 1784 / 182 / 1<br>1784 / 182 / 4<br>214 / 1 | 0.3950<br>2.38<br>0.2280 | बारानी–4<br>बारानी–4<br>बारानी–4 | 0.79<br>4.76<br>0.4560 |
| | | किता–3 | 3.003 | | 6.006 |
| 3 | गीगराज पुत्र धनसिंह हि. 1/12 जाति जाट सा. हमीरपुरा कला खातेदार राहिन PNB | 1784 / 182 / 3<br>1783 / 182 | 0.0720<br>0.0460 | बारानी–4<br>गै.मु.रास्ता | 0.1440 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | खाटूश्यामजी, मंजु देवी पुत्री पोखरमल हि. 1/16 जाति जाट सा.देह खातेदार, महिपाल पुत्र पोखरमल हि. 1/16 जाति जाट सा.देह खातेदार, राकेश कुमार पुत्र गीगराज हि. 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन PNB खाटूश्यामजी, राजु देवी पत्नि गीगराज हि. 1/6 जाति जाट सा. हमीरपुरा कला खातेदार राहिन SBBJ खाटूश्यामजी, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गीगराज हि. 1/6 सा.हमीरपुरा कला खातेदार राहिन PNB खाटूश्यामजी, रामरतन पुत्र गीगराज हि. 1/6 जाति जाट सा.हमीरपुरा कला खातेदार राहिन SBBJ खाटूश्यामजी, संतोष देवी पत्नि पोखरमल हि. 1/16 जाति जाट सा. देह खातेदार, सुभाष महरिया पुत्र पोखरमल हि. 1/16 जाति जाट सा.देह खातेदार | किता–2 | 0.1180 | | 0.1440 |

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .....—मुबलिग .....— बाबत .....— खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .....— को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.07.2024 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

| मुददई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्पअर्जीदावा ..... | 6 | 00 | स्टाम्पवकालतनामा | 1 | 00 |
| स्टाम्पवकालतनामा | 1 | 00 | स्टाम्पअर्जी .... | | |
| स्टाम्पवजहसबूत ..... | — | — | मेहनतानावकीलपर ... | | |
| मेहनतानावकील ..... | — | — | खर्चागवाहान ..... | | |
| खर्चागवाहान ..... | — | — | फीसकमिश्नर .... | | |
| फीसकमिश्नर ..... | — | — | बाबतइजराय हुक्मनामा ..... | | |
| बाबतइजराय हुक्मनामा .... | — | — | मुतफर्रिक ..... | 0 | 00 |
| मुतफर्रिक ..... | 8 | 00 | | 0 | 00 |
| मीजान | 15 | 00 | मीजान | 1 | 00 |

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिए।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास गाविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या:– 159/2014/दावा

1 गीगराज पुत्र धनसिंह
2 राजू देवी धर्मपत्नी गीगराज
3 रामरतन पुत्र गीगराज
4 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गीगराज
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम हनुमानपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रार्थीगण

ब ना म

1. पोखरमल पुत्र भगवानाराम (फौत)
1/1. सुभाष पुत्र पोखरमल
1/2. महिपाल पुत्र पोखरमल
1/3. संतोष पत्नि पोखरमल
1/4. मंजू पुत्री पोखरमल
समस्त जाति जाट निवासी हनुमानपुरा, खाटूश्यामजी, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. तहसीलदार (भू–धारक) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. उपपंजीयक दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. एसबीबीजे शाखा खाटूश्यामजी तह0 दांतारामगढ।

– अप्रार्थीगण

**दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा**

उपस्थिति–

1. श्री अनिल शर्मा वकील वादीगण की ओर सें।
2. श्री भंवर सिंह शेखावत वकील प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 की ओर से।
3. प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।